

**उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के थोक अनुज्ञापन- सी0एल0-2/एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी के नवीनीकरण हेतु**

**शपथ-पत्र का प्रारूप**

**(रूपये 10 /- के नानजुडीशियल नोटेराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा )**

- 1- यह कि शपथकर्ता----- पुत्र/पुत्री/पत्नी ----- निवासी -----  
----- **थोक अनुज्ञापन- सी0एल0-2/एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी** -----, अनुज्ञापन संख्या ----- जनपद----- का वर्ष 2019-20 हेतु अनुज्ञापनी है।
- 2 - यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2020-21 हेतु वर्तमान वर्ष 2019-20 में अनुमोदित चौहद्दी पर नवीनीकरण कराना चाहता है और वह अनुज्ञापन से संबंधित वर्ष 2020-21 की समस्त देयतायें देने को सहमत है।
- 3- यह कि शपथकर्ता ने अपने उपरोक्त अनुज्ञापन वर्ष 2019-20 की प्रति तथा वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।
- 4- यह कि उपरोक्त अनुज्ञापन की माह -जनवरी-2020 तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।
- 5- यह कि उपरोक्त अनुज्ञापन की वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।
- 6- यह कि वर्ष 2019-20 में अद्यतन उपरोक्त अनुज्ञापन के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गयी है।
- 7- यह कि शपथकर्ता शपथ पूर्वक कथन करता है कि उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। उपरोक्तानुसार जब्त की गयी प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।
- 8- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2020-21 को भली भाँति समझ लिया है जिसका वह पालन करेगा। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा।
- 9- यह कि नवीनीकरण के आन-लाइन पोर्टल पर उपरोक्त अनुज्ञापन से संबंधित वर्ष 2020 -21 हेतु प्रदर्शित वार्षिक लाइसेंस फीस/प्रतिभूति आदि को शपथकर्ता ने अवलोकित कर लिया है जिनके संबंध में नियमों एवं आदेशों का शपथकर्ता पालन करेगा तथा इस प्रकार निर्धारित देयताओं को जमा करेगा।
- 10- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटिरहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हों, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।
- 11- यह कि शपथकर्ता ने उपरोक्त बैंक खाते से संबंधित निरस्त सी0बी0एस0 चेक की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।  
उपरोक्त क्रमांक-1 से 11 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता -----

**उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के बाण्ड अनुज्ञापन- बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी/2सी/2डी के नवीनीकरण हेतु**

**शपथ-पत्र का प्रारूप**

(रूपये 10 /- के नानजुडीशियल नोटेराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा )

- 1- यह कि शपथकर्ता----- पुत्र/पुत्री/पत्नी ----- निवासी -----  
----- **बाण्ड अनुज्ञापन- बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी/2सी/2डी** -----, अनुज्ञापन संख्या ----- जनपद----- का वर्ष 2019-20 हेतु अनुज्ञापी है।
- 2- यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2020-21 हेतु वर्तमान वर्ष 2019-20 में अनुमोदित चौहद्दी पर नवीनीकरण कराना चाहता है और वह दुकान से संबंधित वर्ष 2020-21 की समस्त देयतायें देने को सहमत है।
- 3- यह कि शपथकर्ता ने अपने उपरोक्त अनुज्ञापन वर्ष 2019-20 की प्रति तथा 2018-19 आयकर रिटर्न की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।
- 4- यह कि उपरोक्त अनुज्ञापन की माह- जनवरी-2020 तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।
- 5- यह कि उपरोक्त अनुज्ञापन की वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।
- 6- यह कि वर्ष 2019-20 में अद्यतन उपरोक्त अनुज्ञापन के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गयी है।
- 7- यह कि शपथकर्ता शपथ पूर्वक कथन करता है कि उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिश बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अर्हतायें वर्ष 2020-21 के लिये वह पूरा करता है। उसकी उत्पादन इकाई का अनुज्ञापन वैध है। आसवनी/यवासवनी/बाटलिंग यूनिट का 2020-21 के लिये लाइसेंस प्रमाण पत्र 3 माह में वह प्रस्तुत करेगा। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। उपरोक्तानुसार जब्त की गयी प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।
- 8- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2020-21 को भली भाँति समझ लिया है जिसका वह पालन करेगा। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा।
- 9- यह कि नवीनीकरण के आन-लाइन पोर्टल पर उपरोक्त अनुज्ञापन से संबंधित वर्ष 2020-21 हेतु प्रदर्शित वार्षिक लाइसेंस फीस/प्रतिभूति आदि को शपथकर्ता ने अवलोकित कर लिया है जिनके संबंध में नियमों एवं आदेशों का शपथकर्ता पालन करेगा तथा इस प्रकार निर्धारित देयताओं को जमा करेगा।
- 10- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटिरहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हों, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।
- 11- यह कि शपथकर्ता ने उपरोक्त बैंक खाते से संबंधित निरस्त सी0बी0एस0 चेक की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।  
उपरोक्त क्रमांक-1 से 11 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता -----

**उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के एफ0एल0-2डी अनुज्ञापन के नवीनीकरण हेतु**

**शपथ-पत्र का प्रारूप**

**(रूपये 10 /- के नानजुडीशियल नोटेराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा )**

- 1- यह कि शपथकर्ता----- पुत्र/पुत्री/पत्नी ----- निवासी -----  
----- **एफ0एल0-2डी अनुज्ञापन-** -----, अनुज्ञापन संख्या ----- जनपद-----  
----- का वर्ष 2019-20 हेतु अनुज्ञापी है।
- 2- यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2020-21 हेतु वर्तमान वर्ष में अनुमोदित चौहद्दी पर नवीनीकरण कराना चाहता है और वह दुकान से संबंधित वर्ष 2020-21 की समस्त देयतायें देने को सहमत है।
- 3- यह कि शपथकर्ता ने अपने उपरोक्त अनुज्ञापन वर्ष 2019-20 की प्रति तथा वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।
- 4- यह कि उपरोक्त अनुज्ञापन की माह -जनवरी-2020 तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।
- 5- यह कि उपरोक्त अनुज्ञापन की वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।
- 6- यह कि वर्ष 2019-20 में अद्यतन उपरोक्त अनुज्ञापन के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गयी है।
- 7- यह कि शपथकर्ता शपथ पूर्वक कथन करता है कि उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उपरोक्त थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें वर्ष 2020-21 के लिये वह पूरा करता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। उपरोक्तानुसार जब्त की गयी प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा। समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल0ए0बी0 की त्वरित आपूर्ति के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- 8- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2020-21 को भली भाँति समझ लिया है जिसका वह पालन करेगा। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा।
- 9- यह कि नवीनीकरण के आन-लाइन पोर्टल पर उपरोक्त अनुज्ञापन से संबंधित वर्ष 2020 -21 हेतु प्रदर्शित वार्षिक लाइसेंस फीस/प्रतिभूति आदि को शपथकर्ता ने अवलोकित कर लिया है जिनके संबंध में नियमों एवं आदेशों का शपथकर्ता पालन करेगा तथा इस प्रकार निर्धारित देयताओं को जमा करेगा।
- 10- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटिरहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हों, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।
- 11- यह कि शपथकर्ता ने उपरोक्त बैंक खाते से संबंधित निरस्त सी0बी0एस0 चेक की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।  
उपरोक्त क्रमांक-1 से 11 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता -----